मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

डी. क्रमांक 220-132-1 (3) 77

भोपाल, दिनांक 3 जून 1977

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,

विषय.—विभागीय जांच समयावधि निलम्बित शासकीय सेवकों के विरुद्ध चलाई जा रही विभागीय जांच के बारे में त्रैमासिक विवरण.

शासन के पास कई निलम्बित शासकीय सेवकों के अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं जिनमें यह बताया जाता है कि उनके विरुद्ध विभागीय जांच करने की कार्यवाही तक आरंभ नहीं की गई है जबकि उन्हें निलम्बत हुए अधिक समय व्यतीत हो गया है. इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश दिये गये कि ऐसे सभी प्रकरण जिसमें शासकीय सेवक को निलम्बित किया हो, को शीघ्रातिशीघ्र निपटाया जाय, परन्तु इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई हैं. शासन पुन: यह चाहता है कि ऐसे लंबित प्रकरण शीघ्रातिशीघ्र निपटाये जायें. इन प्रकरणों में की जा रही कार्यवाही तथा प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं की जानकारी आवश्यक है. अत: सभी विभागों से अनुरोध है कि वे अपने विभाग एवं अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों से प्रत्येक निलम्बित शासकीय सेवक के बारे में त्रैमासिक विवरण प्राप्त कर इस संबंध में निम्नलिखित जानकारी सामाय प्रशासन विभाग को हर तीसरे माह भेजने का कष्ट करें:—

(1) शासकीय सेवक (राजपत्रित एवं अराजपत्रित) का नाम, पदनाम, जिसे निलम्बन में रखा गया हो
(2) निलम्बन में रखने की तारीख
(3) आरोप पत्र एवं कदाचार का विवरण, तामील करने की तारीख
(4) यदि आरोप पत्र तामील नहीं किया गया हो तो उसका कारण
(5) विभागीय जांच में कितनी प्रगति हुई है.
(6) रिमार्क (इसमें विलम्ब होने का कारण बताया जाय)

2. प्रत्येक विभाग से निवेदन है कि मार्च में समाप्त होने वाले तिमाही विवरण अप्रैल माह के 20 तारीख तक, जून में समाप्त होने वाला तिमाही विवरण जुलाई माह के 20 तारीख तक, सितम्बर में समाप्त होने वाला तिमारी विवरण अक्टूबर माह की 20 तारीख तक एवं दिसम्बर में समाप्त होने वाला तिमाही विवरण अगली जनवरी की 20 तारीख तक इस विभाग को निश्चित रूप से भेज दिया करें. कृपया विभागाध्यक्षों को यह विवरण इस विभाग को सीधे भेजने का निर्देश न दें, बल्कि उनसे उक्त विवरण प्राप्त कर अपनी टीका के साथ ही इस विभाग को भेजने का कष्ट करें कि विलम्ब को दूर करने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है.

3. आपसे निवेदन है कि गत मार्च माह को समाप्त होने वाला विवरण इस विभाग को जून माह की 20 तारीख तक भेजने का प्रबंध करें और उसके बाद के त्रैमासिक विवरण निर्धारित समय तक भेज दिया करें.

हस्ता./-
(व्ही. जी. निगम)
विशेष सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.